



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2697

दिनांक:- 28/9/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री हरिमोहन शर्मा	श्री धुलीचन्द	बी-524	111.11 वर्ग गज	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-1484

दिनांक-

28/9/22

-सार्वजनिक सूचना:-

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं।
लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	महेश कुमार शर्मा/धन्नालाल शर्मा (श्री महावीर स्वामी गु० नि० सो०स०लि०की योजना-अरिहन्त वाटिका-बी)	11बी	291
2	लखपत मल भण्डारी/स्व० इन्दर मल भण्डारी (श्री महावीर स्वामी गु० नि० सो०स०लि०की योजना-अरिहन्त वाटिका-बी)	32बी	319.87
3	सरिता कंवर/शक्ति सिंह राठौड (श्री महावीर स्वामी गु० नि० सो०स०लि०की योजना-रूप सागर)	35ए	353
4	संतोष देवी/सतवीर सिंह (श्री महावीर हा०को०सो०लि०की योजना-बसन्त विहार-ए)	48ए	250.50
5	किशन लाल सैनी/उगमाराम सैनी (अपोलो नगर को०आप०हा०सो० लि०की योजना-जगदम्बा नगर-सी)	81	261.29

दि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जविप्रा, जयपुर।

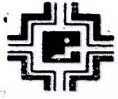
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावली में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II
जविप्रा, जयपुर।

PRO R-1654
29-9-22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 2698

दिनांक:- 28/9/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जवि प्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री संजय कॉल	श्री रामदीन गुर्जर	ए-357	221.18 वर्ग गज	जविप्रा	मालवीय नगर	नामहस्तान्तरण पत्र	मुख्तयारनामा, रजिस्ट्री, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हकत्याग पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी-2699

दिनांक: 28/9/22

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल	श्री सुरज नारायण	जे-18	614.50 वर्ग गज	जविप्रा	सी-स्कीम	पट्टा	वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, गोदनामा

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

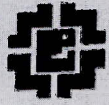
क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री एल. आर. मीणा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र	श्रीमती चन्दा पत्नी श्री डाकर सी	145	शिव शंकर	अशोक विहार	लीजहोल्ड	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।

PR 0 R 1659
29/9/22

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 5635
दिनांक 27/9/2022

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



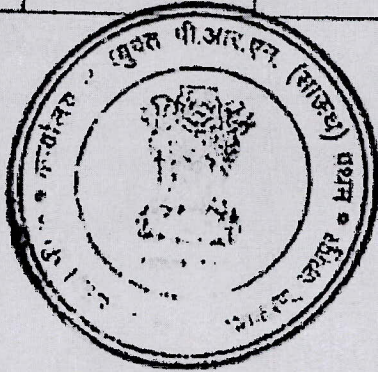
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajabasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के घटे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	गूल आवर्ट/लीजहोडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल य.ग.	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री गिरीश चौपड़ा पुत्र श्री जगदीश चौपड़ा	श्रीमती राजकुमारी यादव रत्नो श्री कपूरचंद यादव	30	200.00	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री कृष्णा विहार	लीजहोड	आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा
2.	श्री जगदीश चौपड़ा पुत्र श्री लादूराम चौपड़ा	श्री महेश शर्मा पुत्र श्री विष्णु सहाय शर्मा एवं श्री कपूरचंद यादव पुत्र श्री कजोड पल यादव	31	200.00	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री कृष्णा विहार	लीजहोड	आवेदन पत्र, साईट प्लान, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा



उपायुक्त

पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुरा

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुरा

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-216 | दिनांक 23-9-22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102097

दिनांक: 28/09/2022

लोक सूचना

मैसर्स प्रयास बिल्डवेल प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता पंजीकृत कार्यालय 1/18बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली

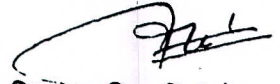
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भांकरोटाकला, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स प्रयास बिल्डवेल प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय 1/18बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	1303	500	0.05
			3173 / 1305	1300	0.13
			3179 / 1304	0.0310	0.0310
कुल					0.2110

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **28-09-2022** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या.....2109

दिनांक.....28/9/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17.02.1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **सिन्धु नगर कॉ. हाउसिंग सो.सा.लि. की योजना- कनक विहार कॉलोनी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
गोकुलपुरा तहसील- जयपुर	175/1	1.7326	- कल्याण पुत्र मोती हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - कानी पत्नि प्रभू हिस्सा -1/24 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - गीता देवी पत्नि कैलाश चन्द्र हिस्सा 1/12 जाति- मीना ग्राम रूपवास जिला - अलवर खातेदार - गोपाल पुत्र मोती हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - जगदीश पुत्र नोन्दा हिस्सा -1/36 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - जगदीश पुत्र डालू हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - नारायण पुत्र नोन्दा हिस्सा -1/36 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - नारायण पुत्र मोती हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - बाबू पुत्र डालू हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - बाबूलाल पुत्र प्रभू हिस्सा -1/24 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - मन्ना पुत्र डालू हिस्सा -1/8 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार - रामु पुत्र नोन्दा हिस्सा -1/36 जाति- मीना सा. मीनावाला खातेदार


 संपादन एवं प्रमाणित अधिकारी,
 जयपुर

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर/ सांगानेर

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

158

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-11244

दिनांक 29/9/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	खेमराज श्रीमाल पुत्र श्री बेणीप्रसाद	श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह	16	100.83	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	अपंजीकृत दस्तावेजात
2	खेमराज श्रीमाल पुत्र श्री बेणीप्रसाद	श्रीमती ऊषा सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह	16ए	102.50	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	अपंजीकृत दस्तावेजात
3	हरिनारायण चौधरी पुत्र श्री बोदूराम	झाबरमल कुमावत पुत्र श्री हनुमान कुमावत	68	183.33	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	अपंजीकृत दस्तावेजात व सूची में नाम दर्ज नहीं।
4	राजेश केशन पुत्र श्री महावीर प्रसाद	अजीत कुमार जैमन पुत्र श्री ओमप्रकाश	43(SP)	87.50	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	सूची में नाम दर्ज नहीं।
5	अनिल कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन	अजीत कुमार जैमन पुत्र श्री ओमप्रकाश	43(NP)	87.50	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	सूची में नाम दर्ज नहीं।
6	सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा	सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा	39बी	100	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	नवीन दस्तावेजात व सूची में नाम दर्ज नहीं।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696

7	अंजना गुप्ता पत्नी श्री दिनेश चन्द गुप्ता	चिरंजीलाल सैनी पुत्र श्री गणेश सैनी	5	111.11	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
8	भगवान दास तोतलानी पुत्र श्री नारायण दास तोतलानी	सुमित्रा चौधरी पत्नी श्री केदार डूक्या	51	150	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	सूची में नाम नहीं
9	मोहिन्दर तोतलानी पुत्र श्री ईश्वरलाल तोतलानी	मनभर देवी पत्नी श्री रामप्रसाद डूक्या	50	150	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	सूची में नाम नहीं
10	हनुमान सिंह पुत्र श्री सायर सिंह	दशरथ सिंह निर्माण पुत्र श्री सायर सिंह निर्माण	48बी	100	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	हकत्याग
11	कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	38बी	100	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	सूची में नाम नहीं
12	सीमा सोनी पत्नी श्री संजय कुमार सोनी	भंवरलाल सोनी पुत्र श्री फूलचन्द सोनी	26	311.11	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	पट्टा	सूची में नाम नहीं
13	शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री ग्यारसीलाल शर्मा	जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	37	87.50	लुनियावास	सी.जी. एम नगर	पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102101

दिनांक: 28/09/2022

लोक सूचना

श्री SITARAM MEENA पुत्र श्री SH. PHOOLCHAND MEENA जाति MEENA निवासी BADI KA BAS, PATEL COLONY, BEELWA KALA, TEHSIL SANGANER, DIST. JAIPUR

श्री ASHOK SINGH TH. POA HOLDER पुत्र श्री SH. BABU SINGH जाति RAJPUT निवासी M-28, INCOME TAX COLONY, DURGAPURA, TONK ROAD, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1965	1160	0.116
2.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1966	1800	0.18
3.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1967	2200	0.22
4.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1968	3170	0.317
5.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1969	1900	0.19
6.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1977	900	0.09
7.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1978	5200	0.52
8.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1979	5000	0.5
9.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1980	5300	0.53
10.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1981	8100	0.81
11.	शिवदासपुरा, चाकसू	SITARAM MEENA	1982	6600	0.66

	(जयपुर)				
12.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1983	600	0.06
13.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1984	1000	0.1
14.	शिवदासपुरा, चाकसू (जयपुर)	SITARAM MEENA	1985	42070	4.207
कुल					8.5

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **28-09-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी-जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर